न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 172/2019

जसवन्त सिहं सोनी ग्राम पोस्ट सतनाली जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) खेतड़ी।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 21.11.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 30.10.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 172/2019 पर दिनांक 30.10.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) खेतड़ी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) खेतड़ी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) खेतड़ी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2019/1634–35 दिनांक 07.11.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) खेतड़ी ने पत्रांक पी.ए./सू.अ.अ.(15)/19/894 दिनांक 15.11.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 17.09.2019 को प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में चाही गई कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेतड़ी के उपस्थिति रजिस्टर माह अक्टूबर 2018 की सत्यापित प्रति इस कार्यालय के पत्र क्रमांक स्थापना/सू.अ.अ.(15)/19/833–834 दिनांक 07.10.2019 द्वारा निर्धारित समयावधि में आवेदक को प्रेषित कर दी गई थी। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 17.09.2019 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में चाही गई कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेतड़ी के उपस्थिति रजिस्टर माह अक्टूबर 2018 की सत्यापित प्रति उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक स्थापना/सू.अ.अ.(15)/19/833–834 दिनांक 07.10.2019 द्वारा निर्धारित समयावधि में आवेदक को प्रेषित कर दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 21.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Jain
Date: 2019.11.25 12:18:44 IST
Reason: SelfAttested